संख्या–866 / 33–3–2010–335 / 2006

प्रेषक,

डी0 एस0 श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः: दिनांकः: 11 मई, 2010

विषय :– पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि(बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड) के कियान्वयन हेतु गठित परियोजना प्रबन्ध इकाई में सृजित पदों की निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विषयक शासनादेश संख्या–2832 / 33–3–2007–335 / 2006, दिनांक 28.12.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदश हुआ है कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड) के कियान्वयन हेतु गठित परियोजना प्रबन्ध इकाई में 16 अस्थायी पदों का सृजन दिनांक 28.02.08 तक की अवधि के लिए किया गया था। तद्क्रम में शासनादेश संख्या–634 / 33–3–2009–335 / 06,. दिनांक 24.03.2009 द्वारा उक्त पदों की निरन्तरता दिनांक 28.02.09 एवं शासनादेश संख्या–672 / 33–3–2010–335 / 2006, दिनांक 26.03.2010 द्वारा दिनांक 29.02.2010 तक बढ़ाई गई थी। परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी.आर.जी.एफ., उ0प्र0 के पत्रांक–933 / 33–पी.एम.यू. / 10. दिनांक 15.04.2010 द्वारा योजना के संचालन हेतु उक्त सृजित पदों की आगे भी आवश्यकता बताई गई है, जिस कारण वर्तमान में इन पदों की निरन्तरता की आवश्यकता है।

2– अतः श्री राज्यपाल महोदय योजनान्तर्गत उक्त सृजित कुल 16 अस्थायी पदों को दिनांक 28.02.2011 तक के लिए निरन्तरता की सहर्ष स्वीकृति, इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते है।

3– यह आदेश वित्त(लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–2574 / दस–98–24(8) / 92, दिनांक 02.12.1998 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक–उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, वित्त / समाज कल्याण / ग्राम्य विकास / नियोजन / कार्मिक / राजस्व / नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3– संबंधित मण्डलायुक्त।
4– संबंधित जिलाधिकारी।
5– परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी.आर.जी.एफ.,उ0प्र0, लखनऊ।
6– संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी।
7– संबंधित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
8– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 / वित्त(लेखा) अनुभाग–2
9– गार्ड फाईल हेतु

आज्ञा से,

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव